

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018-फाल्गुन 25, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अरशान पटेल मलिक है, परन्तु आज दिनांक से पूर्व मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम दीपक वर्मा पिता ओमप्रकाश वर्मा अंकित है। परन्तु मैं, आज दिनांक से अपना नाम परिवर्तित कर अरशान पटेल मलिक अंकित कराना चाहता हूँ। अतः आज दिनांक के पश्चात् मुझे अरशान पटेल मलिक के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(दीपक वर्मा)

(813-बी.)

नया नाम :

(अरशान पटेल मलिक)

पुत्र श्री ओमप्रकाश वर्मा,

150-ए, वीणा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि अभिषेक पिता कृष्णभूषण मिश्रा, निवासी लाल बहादुर शास्त्री, वार्ड 25, चौबे कॉलोनी, हरदा का शाला अभिलेख में नाम अभिशेष (Abhishesh) दर्ज है। जबकि सही नाम अभिषेक (Abhishek) मिश्रा है। यही नाम अन्य दस्तावेजों में भी है। अब से इन्हें अभिषेक मिश्रा नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(अभिशेष मिश्रा)

(814-बी.)

नया नाम :

(अभिषेक मिश्रा)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम दीपक कांकर पिता श्री डी. पी. कांकर (द्वारका प्रसाद कांकर) था। अब मुझे नाम दीपक शर्मा पिता श्री डी. पी. शर्मा, निवासी ब्लॉक नं.-2, एल. आई. जी-2, गुरु रवीन्द्र नाथ टेगोर परिसर-2 सी, साकेत नगर, भोपाल-462024 हो गया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(दीपक कांकर)

(815-बी.)

नया नाम :

(दीपक शर्मा)

उप-नाम परिवर्तन

1. यह कि पूर्व में मुझे आशाराम वंशकार पुत्र राजाराम वंशकार वर्तमान निवासी म. नं.-20-ए, कावेरी हाउसिंग सोसायटी, सर्वधर्म सी-सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) के नाम से जाना, पहचाना जाता था एवं लिखता था.
2. यह कि अब मैं आशाराम वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा वर्तमान, निवासी म. नं.-20-ए, कावेरी हाउसिंग सोसायटी, सर्वधर्म सी-सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) के नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ एवं सरनेम वर्मा लिखने लगा हूँ.
3. यह कि अब मैं हमेशा के लिए आशाराम वर्मा नाम लिखने लगा हूँ जिस हेतु यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है.

पुराना नाम :

नया नाम :

(आशाराम वंशकार)

(आशाराम वर्मा)

(812-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, आलोक कुमार हलवाई पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद हलवाई, निवासी-सी-28, अजय सत्य प्रकाश होम्स, जिडास कॉलेज के पास, तिलहरी, जबलपुर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की मुख्यपीठ जबलपुर में नियमित विधि व्यवसायी हूँ. मैं अपना नाम आलोक कुमार हलवाई के स्थान पर उपनाम परिवर्तित कर आलोक कुमार गुप्ता कर रहा हूँ. अतः मुझे आज दिनांक से परिवर्तित नाम से जाना-पहचाना लिखा-पढ़ा व समझा जाये.

पुराना नाम :

नया नाम :

(आलोक कुमार हलवाई)

(आलोक कुमार गुप्ता)

(816-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम राजेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (एडवोकेट) पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर था तथा मैंने सभी प्रकार की शिक्षा इसी नाम से प्राप्त की है. अब मुझे नये नाम राजेन्द्रसिंह ठाकुर पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा समस्त संव्यवहार मेरे नये नाम से किया जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(राजेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)

(राजेन्द्र सिंह ठाकुर)

पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर.

पुत्र-श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर,

नवांपुर गली बरेठ रोड,

गंजबासौदा, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश).

(817-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सौम्या बुधरानी पति श्री रवि बुधरानी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी 2025/8, नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश विवाह पूर्व मेरा नाम कु. नेहा चावला पिता श्री नंदलाल चावला, निवासी सफर स्पाइस गोलबाजार, अमरदीप टाकीज रोड, रायपुर छ.ग. था. मेरा विवाह श्री रवि बुधरानी आत्मज श्री माधवदास बुधरानी से हुआ विवाह के पश्चात् मेरा नाम नेहा चावला के स्थान पर श्रीमति सौम्या बुधरानी हो गया है.

पुराना नाम :

नया नाम :

(नेहा चावला)

(सौम्या बुधरानी)

(491-बी.)

नाम परिवर्तन

“सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि गुडडी देवी के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में उनका नाम रीना देवी अंकित है उनके पति सुनील सिंह सिकरवार आर्मी में सेवारत हैं. रीना देवी तथा गुडडी देवी एक ही महिला है तथा गुडडी देवी को रीना देवी के नाम से माना जाये व पहचाना जायें.”

पुराना नाम :

नया नाम :

(गुडडी देवी)

(रीना देवी)

पत्नी-सुनील सिंह सिकरवार,

प्रीतराज कॉलोनी, पिंटो पार्क,

ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(818-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, गुरुदास बारेला पुत्र श्री मांगीलाल बारेला अपना नाम गुरुदास बारेला परिवर्तित करके नया नाम गुरुदास सेनानी रख लिया हूँ भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए व पुकारा जाए.

पुराना नाम :

(गुरुदास बारेला)

(819-बी.)

नया नाम :

(गुरुदास सेनानी)

ग्राम जुनापानी पो. धवली,
तह. वरला, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश).**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे अशोक बावरेचा के नाम से जाना जाता था. अब मेरा नाम परिवर्तित होकर अशोक माहेश्वरी हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे अशोक माहेश्वरी के नाम से जाना व पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(अशोक बावरेचा)

(820-बी.)

नया नाम :

(अशोक माहेश्वरी)

निवासी-77, अग्रसेन नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर.

CHANGE OF NAME

I, Sharad Kumar Choudhary S/o Radha Krishna Choudhary, Resident of G-7, Krishi Nagar Old Sehere Road, Residency Area, Indore M.P. declare that my previous name was Sharad Kumar Radha Krishna at my present or New Name Sharad Kumar Choudhary S/o Radha Krishna Choudhary.

Old Name:

(SHARAD KUMAR RADHA KRISHNA)

(827-B.)

New Name :

(SHARAD KUMAR CHOUDHARY)
S/o Radha Krishna Choudhary.**PUBLIC NOTICE**

M/s Brahma Construction 30 Nanakheda, Ujjain M.P. 456010 I on behalf of partnership firm M/s Brahm Construction, here by give notice to the effect that- (A) The constitution of the firm has changed on & after 01-12-2017, as follows : (1) Mr. Suresh Kumar Moud S/o Shri Bhagwatiprasad ji Moud of Ujjain, (2) Mr. Suresh Vijayvargi S/o Shri Hiralal ji Vijayvargi of Ujjain, (3) Mr. Rajendra Surana S/o Shri Pannalal Ji Surana of Ujjain has joined the firm as new partner on 01-12-2017.

AKHILESH BAFNA,

(Advocate),

19,19 Dreams Colony, Nr. Hotel Park Palace.
Nanakheda Ujjain (M.P.).

(821-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स साईं कंस्ट्रक्शन, 37/415, गल्ला मण्डी, भिण्ड (म.प्र.) ने 26-05-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्री अरूण कांत शर्मा पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा, आयु 47 वर्ष, निवासी म. नं. 26/628, पीताम्बरा पुरम पीपरी पुरा मुरैना तथा पक्षकार क्रमांक 4 श्री रंजीत शर्मा पुत्र श्री राम लखन शर्मा, आयु 29 वर्ष, निवासी 107, हाडसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिण्ड व पक्षकार क्रमांक 5 श्री अर्जुन शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, आयु 21 वर्ष, निवासी सी-33, थाटीपुर मुरार, ग्वालियर फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स साईं कंस्ट्रक्शन,

राकेश शर्मा,

(पार्टनर).

(822-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण सूचित किया जाता है कि मेसर्स राजीव कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, पता गली नं. 02, राजेन्द्र नगर, तहसील रघुराजनगर, सतना (मध्यप्रदेश) जो कि भागीदारी फर्म है. जिसका फर्म पंजीयन क्र. 083, जिसके श्री गजेन्द्र सिंह पिता श्री महेश सिंह, पता-परसवारा हाउस प्रभात बिहार कॉलोनी, सतना (मध्यप्रदेश) भागीदार दिनांक 09-02-2018 से अपनी स्वेच्छा से फर्म मेसर्स राजीव कान्स्ट्रक्शन कम्पनी की भागीदारी से पृथक् (सेवानिवृत्त) हो गये हैं. जिसका आज दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा. शेष भागीदार यथावत हैं.

अतः जिस किसी को फर्म अथवा सेवानिवृत्त भागीदार से संबंधित आपत्ति हो वो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अंदर सूचित करें.

मैसर्स राजीव कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,
राजीव सिंह,
(भागीदार).

पता-गली नं. 02, राजेन्द्र नगर,
तहसील रघुराजनगर, सतना (म.प्र.).

(823-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री हरि विकाश बिल्डर्स पंजीकृत कार्यालय जी. 06 उपभोक्ता मार्केट, रीवा (म.प्र.) जो कि भागीदारी फर्म है. जिसका फर्म पंजीयन क्र. 05/22/03/0004/15, जिसके भागीदार श्री राजेन्द्र सासवानी तनय श्री हीरालाल सासवानी, निवासी जान टावर के बगल में हेडगेवार नगर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) एवं भागीदार श्री गुलाब तनवानी तनय स्व. सुमनदास तनवानी, निवासी रानीगंज घोघर रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) दिनांक 04-09-2017 से अपनी स्वेच्छा से फर्म मेसर्स श्री हरि विकाश बिल्डर्स की भागीदारी से पृथक् (सेवानिवृत्त) हो गये हैं. जिसका आज दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेनादेना नहीं होगा एवं फर्म के नये भागीदार के रूप में श्री संजीव मेहरोत्रा तनय स्व. हरिकृष्ण खत्री, निवासी गुरुकृपा नई छोटी पुल के पास डेकहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) दिनांक 04-09-2017 से फर्म के भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं. शेष भागीदार यथावत हैं.

अतः जिस किसी को फर्म अथवा सेवानिवृत्त भागीदार से संबंधित आपत्ति हो वो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अंदर सूचित करें.

सूचनादाता-

मैसर्स श्री हरि विकास बिल्डर्स,
पवन कुमार पाडेण्य,
तनय श्री रामनारायण पाडेण्य,
(द्वारा-भागीदार)

पंजीकृत कार्यालय-जी-6, उपभोक्ता मार्केट, रीवा (म.प्र.).

निवासी-ग्राम बरा, पोस्ट अजगरहा, तहसील हुजूर,

जिला रीवा (म.प्र.).

(824-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मैसर्स बालाजी स्टोन क्रशर फर्म जिसका पता 18/2, कंबर कॉलोनी, बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 03/30/09/00103/13, दिनांक 13-08-2013 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री दीपेश विजयवर्गीय पिता श्री शिवप्रसाद विजयवर्गीय, 2. श्री लक्ष्मीचंद अमई पिता स्व. हीरालाल अमई, 3. श्री प्रशांत शर्मा पिता श्री महेश प्रसाद शर्मा एवं 4. श्री रविन्द्र अग्रवाल पिता श्री मानकचंद अग्रवाल थे. तत्पश्चात् दिनांक 01-11-2017 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री रविन्द्र अग्रवाल पिता श्री मानकचंद अग्रवाल उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं. इस भागीदार ने फर्म मेसर्स बालाजी स्टोन क्रशर से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे

मैसर्स बालाजी स्टोन क्रशर,

1. दीपेश विजयवर्गीय,

2. लक्ष्मीचंद अमई,

3. प्रशांत शर्मा,

(पार्टनर).

(825-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मैसर्स संपत ओवेरसीज फर्म जिसका पता-142, संपत आर्कड, घिसाजी पटेल नगर, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0250/18, दिनांक 12-01-2018 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री संतोष पटेल पिता श्री बाबूसिंह पटेल एवं 2. श्री मोहित पटेल पिता श्री संतोष पटेल थे. तत्पश्चात् दिनांक 02-09-2017 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री मनोज पटेल पिता श्री अंतरसिंह पटेल उक्त भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं श्री मोहित पटेल पिता श्री संतोष पटेल उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं. इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स संपत ओवेरसीज से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं फर्म का पता समृद्धि वेअरहाउस, ग्राम बढियाकीमा, बिचोली मर्दाना, इन्दौर हो गया है. यह विदित हो.

तर्फें

मैसर्स संपत ओवेरसीज,

1. संतोष पटेल,

2. मनोज पटेल,

(पार्टनर).

(826-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस. आर. मोटर्स एण्ड ट्रेक्टर्स पोरसा स्थित 204, अटेर रोड पोरसा, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/04/0001/15, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 है. जिसमें दिनांक 01-04-2016 को भागीदार श्री पंकज कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश लखेरा, निवासी रंगरेजा मौहल्ला, सदर बाजार अम्बाह, जिला मुरैना अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-एस. आर. मोटर्स एण्ड ट्रेक्टर्स पोरसा,

कुलदीप सिंह,

(भागीदार).

(828-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राइजेज स्थित पाण्डे बाबा रोड, महल कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/0168/15, दिनांक 11-12-2015 है. जिसमें दिनांक 29-01-2018 को भागीदार श्री हरेन्द्र कुमार अहलुवालिया, निवासी शास्त्री नगर, मेरठ अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

गुलाटी इन्टरप्राइजेज,

राजकुमार अग्रवाल,

(भागीदार).

(829-बी.)

महल रोड, शिवपुरी.

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22 फरवरी 2018

संशोधित अधिसूचना

क्र./368/री.ए.डी.एम./2018.—पूर्व में इन्दौर शहर के अन्दर नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में जाने वाले भार वाहनों को कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 746-747/री.ए.डी.एम./2016, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा नवलखा से अग्रसेन चौराहा होकर लोहा मण्डी व अनाज मण्डी की ओर जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया था.

पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर), जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक उमनि/इं/याता/324/18, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के आधार पर मोटरयान नियम-1994 के नियम-215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 746-747/री.ए.डी.एम./2016, दिनांक 21 मार्च, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुये

मैं, निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार व्यस्तम मार्ग पर उनके सामने दर्शाये गये समय एवं अवधि में ट्रक/भारवाही वाहनों के इन्दौर शहर में आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबन्धित करता हूँ:-

क्र.	मार्ग	प्रतिबन्धित समय एवं अवधि	रिमार्क
1.	नवलखा से अग्रसेन चौराहा होकर लोहा मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों.	पूर्णकालिक	केवल लोहा मण्डी से संबंधित लोहे वाले वाहनों के लिये यह प्रतिबन्ध रहेगा.
2.	नवलखा से अग्रसेन होकर अनाज मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों.	प्रातः 09:30 बजे से दोपहर 11.30 बजे व सायं 05.30 बजे से रात्रि 07.30 बजे के लिए यह छूट/प्रतिबन्ध लागू रहेगा. तक.	केवल अनाज मण्डी से संबंधित वाहनों के लिए यह छूट/प्रतिबन्ध लागू रहेगा.
3.	नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों.	दोप. 01.30 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक.	केवल लोहा मण्डी से संबंधित ट्रांसपोर्ट व्यापारी (लोहा व्यापारी को छोड़कर) के लिए यह छूट/प्रतिबन्ध लागू रहेगा.

1. यह प्रतिबन्ध केवल भार वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.
2. तीन इमली पर वाहन प्रवेश से पूर्व मार्ग पर खड़े न हो.
3. वाहन नगर निगम द्वारा डाली गयी पीली लाईन के अन्दर ही प्रवेश एवं निर्गम करें, इस हेतु नगर निगम को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है.
4. कोई भी भारी भार-वाहन लोहामण्डी परिक्षेत्र एवं अनाज मण्डी परिक्षेत्र में रोड एवं फुटपाथ पर पार्किंग न हो, सामान का लोडिंग एवं अनलोडिंग गोदाम में ही किया जाये.
5. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेगी.

(376)

निशांत वरवड़े,
जिला दण्डाधिकारी.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

रा.प्र.क्रमांक 004/बी-113(1)2017-18.

मण्डलेश्वर, दिनांक 22 फरवरी 2018

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हरीराम पिता बाबुलाल जाति कुल्मी, निवासी बहेगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश न्यास का अध्यक्ष न्यासी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 22 फरवरी 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा उक्त मामलें की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : सर्व मंदिर पुनः निर्माण न्यास ग्राम बहेगाँव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन म.प्र.
2. न्यास का पता : अध्यक्ष का निवास स्थान ग्राम बहेगाँव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन म.प्र.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक
4. चल सम्पत्ति : निरंक

यह सूचना आज दिनांक 22 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(377)

अवि प्रसाद,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी लोक न्यास कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर**प्रारूप-पाँच**

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम ए 1951(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5(1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास कट्ठीवाड़ा,
जिला अलीराजपुर.

श्री संतोष पिता मनोहरलाल जी राठोर आदि-7 (सात) निवासी कट्ठीवाड़ा, तहसील कट्ठीवाड़ा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास कि तरह विनिर्दिष्ट कि गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी 2018 को विचार के लिये लिया जावेगा

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कि आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और इसका गठन करती है.

अतः मै, के.सी.ठाकुर पंजीयक लोक न्यास कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर का लोक न्यासों का पंजीयक न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास धारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट कट्ठीवाड़ा.
2. सम्पत्ति का विवरण :
(अ) चल सम्पत्ति
(ब) अचल सम्पत्ति

(अ) न्यास की चल सम्पत्ति**विवरण****अनुमानित लागत**

अ. श्री गायत्री मंदिर कट्ठीवाड़ा की चल सम्पत्ति की अनुमानित किमत एवं उसका विवरण-परिशिष्ट संलग्न है. जिसके अनुसार चल सम्पत्ति की कुल किमत रुपया -1,48,200/- है.

ब. गायत्री माताजी मूर्ति: दान से प्राप्त.

स. गायत्री प्रज्ञा पीठ के नवीन प्रज्ञा भवन क्रमांक 1 व 2 गायत्री प्रज्ञा पीठ कट्ठीवाड़ा द्वारा भवन का निर्माण किया गया.

द. गायत्री प्रज्ञा पीठ कट्ठीवाड़ा कवेलु वाले कच्चे दो-दो कमरे वाला मकान 02 भाग पाटेशन.

वाद यंत्र

माईक स्पीकर (चोगे)-नग-2		किमत-6000
एम्पली फायर - नग-1		किमत-13000
एम्पली फायर - नग-1		किमत-18000
केसीयो(हारमोनियम)-1 नग		किमत-18000
माईको फोन- नग-3		किमत-3000
माईक स्टेण्ड- नग-2	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-2000
इन्वेटर छोटा- नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ को दान से प्राप्त	किमत-3000
रेडियो माईक-नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-5000
तबले नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-5000
विद्युत मोटर पानी के कुआ में लगी-नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-20000
छत पंखा-नग-2 किमत	दान से प्राप्त	
ढोलक नग-1 किमत	दान से प्राप्त	
मंजीरे नग-2	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-200
तराजु तोल काटा-नग-2	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-3000

मंदिर में पूजा यज्ञ एवं भोजन बनाने के बर्तन

तपेला एल्युमिनीयम ढक्कन सहित-नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-1000
तपली छोटी नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-50
स्टील की थाली नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-1500
पलंग पेटी पतरे की-नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-4500
पेटी पतरे की छोटी-नग-2	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-500
दीपक पितल का आरती के लिये नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-500
कलश तांबे का बड़े एवं छोटे-नग-3	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-2000
पूजा की थाली छः खण्डवाली स्टील की-नग-9	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-1800
पूजा की थाली चार खण्ड वाली बड़ी स्टील की-नग-3	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-1500
स्टील कटोरे यज्ञ सामग्री के लिए-नग-34	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	किमत-3400
तांबे की पूजा प्लेट-नग-7		किमत-700
तांबे की आच मनी (पानी के लिए)-नग 13		किमत-700
काष्ठ पात्र हवन के लिए- 09 जोड़ी		किमत-900
स्टील चम्मच छोटी नग-60		किमत-300
बिस्तर पेटी तीन खण्ड वाली-नग-1		किमत-5000

फर्नीचर

लकड़ी की अलमारी-नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	कीमत-5000
सीमेंट कुर्सीयां-नग-3	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	कीमत-6000
लोहे की बैंच-नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	कीमत-1200
रेक किचन-नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	कीमत-1000
पलंग लोहे का- नग-1	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	कीमत-500
प्लास्टिक की कुर्सीयां नग-9	गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा क्रय किया गया	कीमत-3000

बिस्तर सामग्री

कंबल-नग-10	गायत्री प्रज्ञा पीठ को दान से प्राप्त	कीमत-5000
चादर-नग-15	गायत्री प्रज्ञा पीठ को दान से प्राप्त	कीमत-1500
दरियां-नग-2	गायत्री प्रज्ञा पीठ को दान से प्राप्त	कीमत-2000
टाट-पट्टी-नग-23	गायत्री प्रज्ञा पीठ को दान से प्राप्त	कीमत-4600
आसन-नग-10	गायत्री प्रज्ञा पीठ को दान से प्राप्त	कीमत-200

बगीचे में फलदार पौधे

आम-पेड़-5		कीमत-5000
नीबू-पेड़-22		कीमत-3000
जामफल पेड़-05		कीमत-500
काजू पेड़-02		कीमत-500
रामफल पेड़-2		कीमत-200
अनार पेड़-1		कीमत-200
आवला पेड़-2		कीमत-300
कटहल पेड़-1		कीमत-200

माताजी की वेशभूषा/आभूषण

माताजी की वेशभूषा(साड़ियां)-नग-30	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाड़ा को दान से प्राप्त	कीमत-1800
चांदी का छत्र नग-1	महिला मंडल द्वारा मंदिर को भेंट	कीमत-1900

ब. न्यास की अचल सम्पत्ति उसकी अनुमानित कीमत गांव कस्बा नगरपालिका ग्राम पंचायत सर्वे क्र. खसरा नं. आदि-ग्राम कट्टीवाड़ा, तहसील कट्टीवाड़ा, जिला अलीराजपुर के सर्वे क्रमांक 242 रकबा 0.700 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 243 रकबा 0.42 हेक्टर की भूमि न्यास की होकर इस प्रकार कुल खेत 2 रकबा 1.100 हैक्टर जिसकी लगानी रुपया-4.93 की भूमि ग्राम पंचायत कट्टीवाड़ा में स्थित है. जिसकी अनुमानित कीमत सरकारी गार्डर्ड लाईन अनुसार रुपया 11,00,000/ ग्यारह लाख रुपये है. जो श्रीमंत राणा साहेब श्री जयेन्द्रसिंह जादव द्वारा दान में दी गई.

8. ट्रस्ट की आय के स्रोत-स्वेच्छा से दान, सदस्यों की ओर से प्राप्त मासिक अनुदान, यज्ञ संस्कार आयोजन से प्राप्त भेंट.

9. कुल वार्षिक आय रुपया-25,000/ पच्चीस हजार रुपये.

10. कुल वार्षिक औसत आय रुपया 20,000/- बीस हजार रुपया.
11. ट्रस्ट की सम्पति में भार आदि का विवरण-नही.
12. ट्रस्ट की सम्पतियों के दस्तावेजों का विवरण-रजिस्टर्ड दान पत्र खाता खसरा, भू-अधिकार पुस्तिका पटवारी ट्रेस नक्शा आदि.
13. वित्तीय वर्ष का सामान्य बजट-
कुल आय रुपया-25,000/-पच्चीस हजार रुपये.
कुल आय रुपया-21,000/-पच्चीस हजार रुपये.
1- पूजा आरती व दैनिक यज्ञों पर व्यय रुपया-11,000/-
2- कर्मचारी का पारिश्रमिक रुपया- 1,000/-
3- पर्वों के आयोजन पर खर्च रुपया- 8,000/-
14. न्यासधारी को की जाने वाले सूचना निम्न पते पर भेजी जा सकेगी संतोष जी राठोड पिता श्री मनोहरलाल जी रोठोड़, मुख्य प्रबंधक न्यासी, गायत्री परिवार ट्रस्ट, गायत्री प्रज्ञा पीठ गायत्री मन्दिर, बस स्टेण्ड कट्टीवाड़ा, तहसील कट्टीवाड़ा, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश.
15. न्यासी को कोई शुल्क या अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जावेगा.

(378)

के. सी. ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुड़िया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 02 अप्रैल, 1992 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(379)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 358, दिनांक 03 मार्च, 2015, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जियागाँव, तहसील खातेगाँव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 01 सितम्बर, 1987 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(380)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2628, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमला, तहसील कन्नोद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 01 अप्रैल, 1987 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(381)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 820, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, माँ क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमारिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1532, दिनांक 19 जनवरी, 2015 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(382)

जिला राजस्व तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 247, दिनांक 17 फरवरी, 1973 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1613, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है, संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक के आवेदन अनुसार वर्तमान में संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है एवं संस्था सदस्य संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 398, दिनांक 27 जनवरी, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला राजस्व तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 247, दिनांक 17 फरवरी, 1973 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. राजावत, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(384)

जय माँ अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमोनिया पंजीयन क्रमांक 1559, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है, संस्था के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 15331/2511. 2017 से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था. निर्वाचन अधिकारी के आवेदन अनुसार संचालक मण्डल के नामांकन पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को संस्था में उपस्थित हुए किंतु किसी भी सदस्य के द्वारा निर्धारित समय में नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका पंचनामा तैयार किया गया है. पंचनामा अनुसार संस्था अकार्यशील होकर संस्था के कार्यव्यवसाय के प्रति कोई रूचि नहीं होना बताया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 397, दिनांक 25 जनवरी, 2018 के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यक्ति होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जबाव प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय माँ अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमोनिया पंजीयन क्रमांक 1559, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(385)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालसापुरा.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालसापुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 16 सितम्बर, 1976 है. जिसका निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 487, दिनांक 18 जनवरी, 2018 से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. रिटर्निंग अधिकारी के पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2018 अनुसार संस्था 2017 से बंद है. संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रूचि नहीं रखते हैं. संस्था में वर्तमान में कोई कर्मचारी भी कार्यरत नहीं है ऐसी स्थिति में संस्था के द्वितीय चक्र के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 09 मार्च, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(383)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा.

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1244, दिनांक 08 मार्च, 2011 है. जिसका निर्वाचन नहीं होने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1948, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के आवेदन अनुसार प्रशासक द्वारा संस्था से सतत् सम्पर्क किये जाने के पश्चात् भी संस्था द्वारा उन्हें रिकार्ड एवं निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 09 मार्च, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(386)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक,

सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक

सहकारी संस्था मर्या., दतोत्तर.

सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दतोत्तर जिसका पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 08 फरवरी, 2012 है. जिसका निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 188, दिनांक 06 जनवरी, 2018 से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. रिटर्निंग अधिकारी संस्था में दिनांक 22 जनवरी, 2018 को नामांकन पत्र प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुए लेकिन निर्धारित समय तक किसी भी सदस्य द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए गये. संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रूचि नहीं रखते हैं. ऐसी स्थिति में संस्था के द्वितीय चक्र के निर्वाचन कराये जाने संभव नहीं हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 09 मार्च, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(387)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घटियाकला.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घटियाकला जिसका पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 07 फरवरी, 1981 है. जिसका निर्वाचन नहीं होने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1908, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के आवेदन अनुसार

प्रशासक द्वारा संस्था से सतत् सम्पर्क किये जाने के पश्चात् भी संस्था द्वारा उन्हें रिकार्ड एवं निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 09 मार्च, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(388)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक,
आदर्श खेतीहर मजदूर सहकारी
संस्था मर्या., खटांबा.

आदर्श खेतीहर मजदूर सहकारी संस्था मर्या., खटांबा जिसका पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 20 जून, 2001 है। जिसका निर्वाचन नहीं होने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1581, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासक के आवेदन अनुसार प्रशासक द्वारा संस्था से सतत् सम्पर्क किये जाने के पश्चात् भी संस्था द्वारा उन्हें रिकार्ड एवं निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 09 मार्च, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(389)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओडनी.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओडनी जिसका पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 है। जिसका निर्वाचन नहीं होने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1962, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासक के आवेदन अनुसार प्रशासक द्वारा संस्था से सतत् सम्पर्क किये जाने के पश्चात् भी संस्था द्वारा उन्हें रिकार्ड एवं निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 09 मार्च, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(390)

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 12 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/282.—कार्यालय उप-पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1273,दिनांक 21 जुलाई 2016 के द्वारा शंकर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 982 दिनांक 06 अक्टूबर 2008) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 02 फरवरी 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, जिला आगर -मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शंकर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित,सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 982 दिनांक 06 अक्टूबर 2008) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के आगामी निर्वाचन होने तक तथा सुचारू कार्य संचालन हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी, सुसनेर को संस्था का प्रशासक नियुक्त करती हूँ. संस्था प्रशासक 03 माह के भीतर संस्था के नवीन निर्वाचन कराने की कार्यवाही संपन्न करावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(391)

श्वेता रावत,

प्र. उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/457.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 744, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुनखेडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1984, दिनांक 01 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस.एन.मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394)

उज्जैन, दिनांक 19 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/558.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3018, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 07 मई, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन.पी.बहोरे, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395)

उज्जैन, दिनांक 19 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/459.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नजरपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 11 जून, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(396)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपंज/परि./2018/244.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./85, दिनांक 06 जनवरी, 2017 के द्वारा चेतना मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1505 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए चेतना मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1505 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397)

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपंज/परि./2018/414.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./86, दिनांक 06 जनवरी, 2017 के द्वारा आदि. मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., पड़वार, जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 785 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदि. मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., पड़वार, जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 785 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(399)

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपंज/परि./2018/415.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./957, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा जबलपुर जिला सहकारी मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1603 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जबलपुर जिला सहकारी मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1603 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(400)

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपंज/परि./2018/416.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./958, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैरी पनागर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1901 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैरी पनागर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1901 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,

सहायक पंजीयक.

(401)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, सम्भाग जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./संपंज./विधि/2018/379.—बैनगंगा सहकारी साख समिति मर्यादित, सिकन्दरा पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 08 नवम्बर 2012 की कार्यप्रणाली पर आवेदक श्री नरेन्द्र रंगारी, श्री प्रेम कुमार मेश्राम, सुश्री रेखा बट्टी द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2017 एवं 12 जनवरी 2017 को शिकायत की, शिकायत के तथ्यों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को संज्ञान में आने से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संआस/पंजीयन/2017/220, दिनांक 06 फरवरी 2017 से बैनगंगा सहकारी साख समिति मर्यादित, सिकन्दरा पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 08 नवम्बर 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-59 के तहत जाँच कराई गई. जाँच प्रतिवेदन उप-आयुक्त सहकारिता बालाघाट द्वारा पत्र क्रमांक/उपंबा/साख/2017/1017, बालाघाट दिनांक 10 अप्रैल 2017 से प्रस्तुत किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य से बैनगंगा सहकारी साख समिति मर्यादित सिकन्दरा पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 08 नवम्बर 2012 को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2016/714, जबलपुर दिनांक 01 मई 2017 को जारी किया जाकर जवाब एक माह में चाहा गया था. दिनांक 22 अगस्त 2017 को उक्त नोटिस तामिली की सूचना प्राप्त हुई तत्पश्चात तीन बार अवसर दिये जाने के बाद भी संस्था पदाधिकारियों द्वारा अपना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे यह स्पष्ट है कि संस्था पदाधिकारियों को शिकायत के तथ्य स्वीकार हैं. संस्था द्वारा धारा 58 के तहत जारी अंकेक्षण आदेश का भी पालन नहीं किया गया है. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-56 के तहत समयावधि में विवरणियां भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए निर्वाचन भी सम्पन्न नहीं कराया गया है. संस्था में गंभीर आर्थिक अनियमितताएं किये जाने एवं अमानत में खयानत होना परिलक्षित होता है. ऐसी स्थिति में संस्था पंजीयन की शर्तों एवं अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में चूक किया जाना पाया जाता है. अतः संस्था की कार्यविधि से मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, पी.एस.तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए बैनगंगा सहकारी साख समिति मर्यादित, सिकन्दरा पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 08 नवम्बर 2012 को एतद द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70(1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी वारासिवनी कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि सहकारिता विस्तार अधिकारी वारासिवनी कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, बालाघाट परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

पी. एस. तिवारी,

संयुक्त पंजीयक.

(398)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 22 फरवरी, 2018

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि/2018/743.—महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पीपल्याकला जिसका पंजीयन क्र. 1140, दिनांक 17 अगस्त, 2009 है, को परिसमापन लाया जाने हेतु दिनांक 20 फरवरी, 2018 को श्री एन. एस. दण्डोटिया, मतस्य निरीक्षक एवं प्रशासक महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पीपल्याकला ने पत्र के माध्यम से संस्था का पंजीयन निरस्त करने अनुशंसा की है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए श्री एन. एस. दण्डोटिया, मतस्य निरीक्षक एवं प्रशासक महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पीपल्याकला के अभिमत से सहमत होकर महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पीपल्याकला को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एस. दण्डोटिया, मतस्य निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री एन. एस. दण्डोटिया, मतस्य निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करें

आर. एस. गौर,
उप-रजिस्ट्रार.

(402)

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिरवाय	1148/15-05-2006	2580/28-12-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया	1022/09-07-2002	2578/28-12-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैरवाखेडी	1173/10-05-2005	2579/28-12-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छाजनहज्जाम	672/25-08-1989	2004/13-10-2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगरोद टोंक	1049/29-02-2003	2002/13-10-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदू	1135/15-05-2006	2003/13-10-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

मनीष चौधरी,

(403)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	कर्णेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास	1247/03-09-2011	391/25-01-2018

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(404)

संधमित्रा मानवेटकर,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	जय माँ अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमानिया	1559/29-04-2015	572/21-02-2018

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(406)

प्रेरणा जांभेकर,
परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018-फाल्गुन 25, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक—तहसील सबलगढ़ (मुरैना), कराहल (शयोपुर), हुजूर, गुढ़, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्योहारी (शहडोल), जैतहरी (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गोपदवनास, चुरहट (सीधी), चितरंगी, देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली), भानपुरा, मल्लहारगढ़, गरौठ, मंदसौर (मंदसौर), महिदपुर, घटिया, उज्जैन (उज्जैन), बडोद (आगर), अलीराजपुर, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर (धार), सांवेर (इन्दौर), खरगौन, बड़वाह, सेगांव (खरगौन), मुलताई, आठनेर (बैतूल), सिवनी-मालवा (होशंगाबाद), गाडरवारा (नरसिंहपुर), हरई (छिन्दवाड़ा), लांजी, किरनापुर, लालवर्मा, परसवाडा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक—तहसील अम्बाह, जौरा (मुरैना), विजयपुर (शयोपुर), बक्सवाहा (छतरपुर), रघुराजनगर, रामपुर-बघेलान, उचेहरा, रामनगर, मैहर, विरसिंहपुर (सतना), मऊगंज (रीवा), जयसिंहनगर, बुढार, गोहपारु, जैतपुर (शहडोल), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), तराना (उज्जैन), आगर (आगर), देवास उदयनगर (देवास), जोवट (अलीराजपुर), मनावर (धार), देपालपुर, इन्दौर, गोतमपुरा (इन्दौर), महेश्वर, कसरावद, भगवानपुरा, खरगौन, पुनासा (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), रहेटी, श्यामपुर, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गोहरगंज, बरेली, बाडी (रायसेन), बैतूल, भैसदेही, घोडाडोंगरी, चिचोली (बैतूल), बावई, इटारसी, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, मझौली (जबलपुर), बड़वारा, बरही (कटनी), गोटेगाँव, करेली (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, निवास (मण्डला), बजाग (डिण्डोरी), अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड़, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, छपारा, घंसोर (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक—तहसील केलास (मुरैना), लहार (भिण्ड), भाण्डेर (दतिया), गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), अजयगढ़, गुनौर (पन्ना), जवेरा, तेंदूखेड़ा (दमोह), त्योंथर सिरमौर, हनुमना (रीवा), अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सिंहावल, मझौली (सीधी), धार, धरमपुरी, डही (धार), गोगावा (खरगौन), विदिशा (विदिशा), बेरसिया (भोपाल), सीहोर, इच्छावर (सीहोर), आमला (बैतूल), होशंगाबाद (होशंगाबाद), कुण्डम (जबलपुर), विजयराधोगढ़ (कटनी), नरसिंहपुर, तेंदूखेडा (नरसिंहपुर), नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामिया, परसिया, उमरेठ, चांद (छिन्दवाड़ा), धनोरा, लखनादोन (सिवनी), बैहर, खेरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील पोरसा, मुरैना (मुरैना), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगाँव, रौन-मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेवदा, दतिया (दतिया), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), नौगाँव, राजनगर, विजावर, बडामलहरा, लवकुशनगर (छतरपुर), पन्ना, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, सागर, बण्डा, रेहली, देवरी, गढाकोटा, राहतगढ़ केंसली, मालथौन, शाहगढ़ (सागर), हटा, बटियागढ़, पथरिया, पटेरा, दमोह (दमोह), मझगंवा, नागौद, अमरपाटन (सतना), कोतमा (अनूपपुर), सुसनेर, नलखेड़ा (आगर), मोमनबड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद, हाटपिपल्या, सतवास, खालेगाँव (देवास), कुच्छी, गंधवानी (धार), महू अम्बेडकरनगर (इन्दौर), भीकनगाँव, झिरन्या (खरगौन), खण्डवा, पंधाना, हरसूद (खण्डवा), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी, सिंरोज, कुरवाई, बासोदा, नटेरन, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरागढ़ (भोपाल), आष्टा, नसरुल्लागंज, जावर (सीहोर), गैरतगंज, बेगमगंज, उदयपुरा, सिलवानी (रायसेन), शाहपुर (बैतूल), सोहागरपुर, पिपरिया, पचमढी (होशंगाबाद), जबलपुर, पाटन (जबलपुर), बहोरीबंद, ढीमरखेडा, रीटी, मुडवारा (कटनी), बिछिया, घुघरी (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), साँसर, बिछुआ, पांडुर्णा (छिन्दवाड़ा), बालाघाट, बारासिवनी, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ई) 245.0 मि. मी. से 449.0 मि.मी. तक- तहसील ईसागढ़ (अशोकनगर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सागर, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, शाजापुर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला में जुताई एवं जिला ग्वालियर में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी.- जिला शिवपुरी, ग्वालियर, बड़वानी, नरसिंहपुर में कहीं-कहीं बोनी का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति- जिला खण्डवा, बुरहानपुर, सीहोर, बैतूल, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा में सोयाबीन फसल पर कीट प्रकोप तथा पीला मैजिक रोग व रतलाम में उड़द फसल पर ऐलामैजिक एवं शहडोल, रतलाम में खरीफ फसल पर सफेद गिडार कीट प्रकोप व पीला रोग का अंशिक प्रभाव होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. कटाई.- जिला सीधी में उड़द, मूंग, शाजापुर, धार में सोयाबीन, होशंगाबाद में मूंग एवं बुरहानपुर में उड़द, दमोह, बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई कहीं-कहीं पर चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सागर, सतना, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, बड़वानी, भोपाल, बैतूल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा, तुअर. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	26.0				
2. पोरसा	84.0				
3. मुरैना	74.0				
4. जौरा	29.0				
5. कैलारस	44.0				
6. सबलगढ़	9.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) कपास, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, ग्वार समान. (2) कपास, धान, तुअर सुधरी हुई ग्वार समान. शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	8.0				
3. विजयपुर	18.2				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	208.7				
2. भिण्ड	120.1				
3. गोहद	69.0				
4. मेहगांव	129.7				
5. लहार	47.5				
6. गोरमी	. .				
7. रौन/मिहोना	84.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है. रोपाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	73.1				
2. डबरा	90.0				
3. भितरवार	113.1				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	80.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. तिल, उड़द, मूँग कम. धान समान. (2) गन्ना समान. शेष फसले बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	76.0				
2. दतिया	156.0				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	39.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) सोयाबीन, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	208.0				
2. ईसागढ़	287.0				
3. अशोकनगर	157.0				
4. चन्देरी	222.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. गुना	. .				
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. *जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. निवाड़ी	. .				
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .				
2. गौरीहार	37.2				
3. नौगांव	108.2				
4. छतरपुर	45.2				
5. राजनगर	58.7				
6. बिजावर	90.2				
7. बड़ामल्हरा	72.0				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	140.0				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	26.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	37.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	61.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	43.7				
4. पवई	57.0				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	122.2				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	225.1		4. (1) ज्वार, धान, मक्का, कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	118.4		उड़द, मूंग, अरहर, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	75.2		मूंगफली, सोयाबीन कम.		
4. सागर	159.9		(2) उपरोक्त फसलें कम हैं.		
5. रेहली	113.0				
6. देवरी	81.0				
7. गढ़ाकोटा	139.2				
8. राहतगढ़	88.0				
9. कंसली	138.2				
10. मालथोन	133.4				
11. शाहगढ़	195.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	103.0		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	99.0		मूंगफली, तुअर, ज्वार, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	103.0		सुधरी हुई		
4. पथरिया	111.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई		
5. जवेरा	42.0				
6. तेन्दूखेड़ा	40.4				
7. पटेरा	121.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर पीलापन है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	21.2		4. (1) तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	95.0		मूंग, कोदो-कुटकी, धान,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	22.0		ज्वार, मक्का, बाजरा,		
4. नागौद	71.0		रामतिल, मूंगफली.		
5. उचेहरा	34.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
6. अमरपाटन	71.0				
7. रामनगर	21.0				
8. मैहर	18.0				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	29.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	46.0		4. (1) उड़द, मूंग, तुअर, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	39.0		कोदो अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	31.0		धान, सोयाबीन कम.		
4. हनुमना	50.4		(2) धान, तुअर, ज्वार, कोदों		
5. हजूर	16.5		समान है. सोयाबीन, उड़द,		
6. गुढ़	17.0		मूंग बिगड़ी हुई हैं.		
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	4.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	14.0		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, अधिक. कोदो, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	12.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हैं.		
3. जैसिंहनगर	28.0				
4. बुढ़ार	19.0				
5. गोहपारू	19.0				
6. जैतपुर	22.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	10.50		4. (1) मक्का अधिक, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	46.3		(2) धान, सोयाबीन बिगड़ी शेष समान.		
3. कोतमा	63.8				
4. पुष्पराजगढ़	45.3				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	23.1		4. (1) उड़द, अरहर, ज्वार, तिल मूंग-मोठ अधिक है. धान, मक्का, कोदों-कुटकी समान है	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	5.4		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	34.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू उड़द मूंग की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	12.0		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	37.6		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
3. मझौली	43.0				
4. कुसमी	26.0				
5. चुरहट	13.8				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	26.8				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	16.6		4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर, कोदों, तिल धान कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	15.2		(2) मक्का, उड़द, धान बिगड़ी शेष समान हैं.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	15.0				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	2.2		(2) उपरोक्त फसले समान.		
3. मल्हारगढ़	2.0				
4. गरोठ	0.6				
5. मंदसौर	2.0				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) मक्का, उड़द, मूंगफली, अधिक है. सोयाबीन, अरहर, मूंग, तिल, ज्वार कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 सफेद मिडार एवं पीला मैजिक रोग से प्रभाव.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1) मक्का कम. सोयाबीन, कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4.(1) मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, मूंगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	17.0		(2) . .		
3. तराना	31.0				
4. घटिया	4.0				
5. उज्जैन	7.0				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	17.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	119.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	159.0				
4. आगर	19.0				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	160.0		4.(1) सोयाबीन, ज्वार कम. मक्का, तुअर, उड़द, मूंग अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	176.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	57.0				
4. कालापीपल	69.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	130.0				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	133.0		4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल अधिक. सोयाबीन, कपास, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	88.0		(2) . .		
3. देवास	23.0				
4. बागली	106.0				
5. कन्नोद	122.0				
6. हाटपिपल्या	120.0				
7. सतवास	56.0				
8. उदयनगर	18.6				
9. खातेगांव	114.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. उड़द फसल पर थेलो मैजिक का प्रभाव.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	23.0		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	5.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ	4.4				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	1.1		4. (1) मक्का, कपास, गन्ना अधिक, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	15.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	51.6				
4. कुक्षी	58.2				
5. मनावर	22.0				
6. धरमपुरी	40.0				
7. गंधवानी	62.0				
8. डही	40.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	30.0		4. (1) ज्वार, उड़द, मूंगमोट, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	6.8		मक्का, तुअर, सोयाबीन, कपास, गन्ना कम.		
3. इन्दौर	17.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. गौतमपुरा	23.0				
5. महु (डॉ. अम्बेडकर नगर)	55.0				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	10.0		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, तुअर, बाजरा, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	22.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	5.0				
4. खरगौन	16.5				
5. गोगावां	39.2				
6. कसरावद	22.0				
7. भगवानपुरा	18.4				
8. भीकनगांव	101.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	98.0				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजकोट (राजपुर)	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन व उड़द इल्ली के प्रकोप से प्रभावित.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	197.0		4. (1) सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, कम. मक्का, तुअर, कपास, अधिक. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	19.0				
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	68.0		(2) सोयाबीन, उड़द, बिगड़ी शेष समान.		
5. हरसूद	60.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. उड़द की कटाई चालू सोयाबीन पर इल्लियों का प्रकोप.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	34.8		4. (1) तुअर कम. कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	98.3		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नेपानगर	56.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. जीरापुर	. .		(2) . .		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	100.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	104.0		(2) उपरोक्त फसलें प्रभावित.		
3. कुरवाई	216.6				
4. बासोदा	109.2				
5. नटेरन	86.0				
6. विदिशा	52.0				
7. गुलाबगंज	88.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	118.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. उड़द, मूंग, सोयाबीन 5% क्षति.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	40.4		4. (1) उड़द, मूंग, सोयाबीन, ज्वार, धान, सन, चरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	57.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन से पीला मैजिक से क्षति हुई है. वर्षा से कटी फसल सड़ने लगी है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	48.2		4. (1) धान, मूंग अधिक. सोयाबीन समान. ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	59.0		(2) मक्का, उड़द, मूंग, सोयाबीन बिगड़ी शेष फसलें समान.		
3. इच्छावर	42.0				
4. नसरुल्लागंज	86.0				
5. रेहटी	18.4				
6. श्यामपुर	30.0				
7. जावर	118.3				
8. बुधनी	34.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	18.0		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	92.6		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	146.0		ज्वार सामान्य.		
4. गोहरगंज	32.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बरेली	21.0				
6. सिलवानी	84.2				
7. बाड़ी	34.0				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	68.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	24.7	का कार्य चालू सोयाबीन	4 (1) मक्का अधिक. सोयाबीन	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	33.5	पर पीला मौजिक की	धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	22.0	शिकायत है.	(2) मक्का अधिक. शेष कम.		
4. शाहपुर	61.2				
5. चिचौली	34.3				
6. मुलताई	9.8				
7. आठनेर	15.0				
8. आमला	38.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. मूँग की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	39.2		4 (1) उड़द अधिक. सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	15.5		मूँग, मोठ, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	21.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. इटारसी	30.6				
5. सोहागपुर	76.0				
6. पिपरिया	90.2				
7. बनखेड़ी	26.8				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	79.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. अल्प वर्षा से आंशिक	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	रूप से प्रभावित खड़ी	4 (1) सोयाबीन कम. उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .	फसलों से आंशिक रूप	मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .	कीट एवं रोगों का प्रभाव.	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	67.0		4 (1) उड़द, मूँग अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	49.0		मक्का, तुअर, सोयाबीन	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	25.8		कम.		
4. पाटन	61.6		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
5. मझौली	28.2				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	55.6		4 (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	67.5		तिल.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	159.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बड़वारा	20.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	60.0				
6. विजयराघवगढ़	37.0				
7. बरही	33.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	44.0	सोयाबीन पर पीला मैजिक	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	24.0	उड़द, मूंग-मौसमी,	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	26.0	दुष्प्रभाव के प्रभाव.			
4. गाडरवारा	2.0				
5. तेंदूखेड़ा	42.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	26.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	28.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	53.5				
4. निवास	25.2				
5. नारायणगंज	36.7				
6. घुघरी	54.7				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	39.1		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	57.8		कोदों, तुअर, उड़द, रामतिल	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	27.7		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर कीड़ों का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	39.0	प्रकोप से 30%-40%	4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	37.0	क्षति होने की संभावना	धान, मूंगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	48.2	है.	(2) मक्का, धान सामान्य.		
4. जुन्नारदेव	17.8		सोयाबीन, मूंगफली, बिगड़ी		
5. सांसर	64.0				
6. बिछुआ	65.8				
7. अमरवाड़ा	23.4				
8. चौरई	26.6				
9. उमरेठ	35.2				
10. मोहखेड	23.4				
11. हरई	8.8				
12. चांद	47.3				
13. पांडुर्णा	54.8				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	31.0		4. (1) ज्वार, समा, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	26.1		गन्ना अधिक. मक्का, कोदों,	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	33.0		तुअर, मूंग, तिल, रामतिल,		
4. कवलारी	23.8		सन् कम.		
5. लखनादोन	50.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. छपारा	28.0				
7. घनोरा	49.6				
8. घसोर	29.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	88.4		4. (1) धान सामान्य.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	4.1		(2) धान सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	9.2				
4. बैहर	50.0				
5. वारासिवनी	56.6				
6. कटंगी	28.0				
7. लालबर्रा	5.0				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	14.8				
10. बिरसा	54.6				
11. खैरलाँजी	41.2				

टीप :- *जिला गुना, टीकमगढ़, झाबुआ, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(375)